कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

–:: निविदा आमंत्रण सूचना ::–

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि नवीन जिला न्यायालय परिसर, रीवा में वाहन पार्किंग स्टैण्ड का संचालन किया जाना है।

अतः जो संस्था या व्यक्ति इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन नवीन जिला न्यायालय परिसर, रीवा में वाहन पार्किंग स्टैण्ड का संचालन करने के इच्छुक हैं, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के कार्यालय में कार्य–दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि **दिनांक 31.07.2025 को दोपहर 03:00 बजे** तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा दिनांक 31.07.2025 को निविदाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सायं 05:00 से 06:00 बजे खोली जायेगी तथा नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 01.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक नजारत अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, रीवा में की जाएगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही विस्तृत निविदा दस्तावेज को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं districts.ecourts.gov.in/india/mp/rewa/tender पर देखा जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 18/7/25

आज्ञा से/–
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म.प्र.)

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)</u>

विषय :– **नवीन जिला न्यायालय परिसर, रीवा में वाहन पार्किंग स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा।**

नवीन जिला न्यायालय परिसर, रीवा में वाहन पार्किंग संचालन हेतु प्रतिष्ठित, पंजीकृत, प्रामाणिक, अनुभवी और पात्र फर्म या व्यक्ति से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, जिन्होंने समान प्रकृति का कार्य किया है या वर्तमान में वाहन पार्किंग का संचालन कर रहे हैं। अर्द्ध–शासकीय संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले निविदाकर्ता जिला न्यायालय रीवा में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित निविदा प्रारुप/फॉर्म, जिसमें नियम और शर्ते उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं districts.ecourts.gov.in/india/mp/rewa/tender पर पर उपलब्ध है। आवेदक/निविदाकर्ता उक्त वेबसाईट से निविदा प्रपत्र/आवेदन–पत्र डाउनलोड कर सकते है।

निविदा से संबंधिसत महत्वपूर्ण विवरण निम्नानुसार हैं :–

विवरण	**राशि**
वार्षिक लाईसेंस शुल्क (न्यूनतम) (इसके ऊपर नीलामी में बोली लगाई जाएगी)	₹ 1,00,000/–
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ई.एम.डी.)	₹ 5,000/–
परफार्मेन्स गारण्टी/सुरक्षा निधि	₹ 50,000/–
निविदा प्रपत्र का मूल्य	₹ 500/–

कार्यवाही का विवरण	तिथि एवं समय
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 31.07.2025 को दोपहर 03:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक 31.07.2025 को शाम 05:00 बजे से 06:00 बजे तक
नीलामी की तिथि एवं समय	दिनांक 01.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

नोट : निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान ओ.टी.सी. चालान द्वारा करना होगा। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ई.एम.डी.) **"प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा"** के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। निविदा नियम और शर्तों पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इनके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

18/7/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म.प्र.)

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म.प्र.)

वाहन पार्किंग स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता / संस्था का नाम	
पिता का नाम (जहां निविदाकर्ता कोई संस्था नहीं है)	
निविदाकर्ता / संस्था का पूर्ण पता — ई—मेल सहित	
मोबाइल फोन नंबर	
आधार नंबर	
PAN	
अनुभव का विवरण	
संस्था का पंजीयन क्रमांक (यदि कोई हो, तो)	
जी.एस.टी. प्रमाण—पत्र	

— :: निविदा के नियम एवं शर्तें :: —

1. वाहन पार्किंग स्टैण्ड संचालन हेतु अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि में वाहन पार्किंग संचालन का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के अनुमोदन उपरांत अनुबंध अवधि 01–01 वर्ष की अवाधि के लिए अधिकतम 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
2. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म का मूल्य ₹ 1000/– OTC चालान द्वारा शासकीय मद ''0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 800'' में जमा कर रसीद प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जाएगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 1,000/– किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदाकर्ता को निविदा दो सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा, जिनमें से एक लिफाफे पर ₹ 5000/– रुपये के ''अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट व ओ.टी.सी. चालान'' का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें ₹ 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा निविदा प्रपत्र के मूल्य ₹ 1000/– का ओ.टी.सी. चालान रखा जाएगा तथा दूसरे लिफाफे पर ''निविदा प्रपत्र'' का उल्लेख करना होगा, जिसमें निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज रखे जाएंगे। **निविदा प्रपत्र, नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।**
4. मात्र उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जाकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रीवा में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा'' के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य ₹ 1000/– का ओ.टी.सी. चालान प्रस्तुत करेंगे।
5. सफल निविदाकर्ता को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जावेगी तथा शेष सभी असफल निविदाकर्ताओं की राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जाएगी।
6. नीलामी प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं के बीच उस बोलीदाता की निविदा स्वीकार की जाएगी, जो इस निविदा के तहत वार्षिक लाईसेंस शुल्क के लिये उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।

7. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रुप से मान्य होगी, उस सफल निविदाकर्ता को बोली लगाने के 07 दिवस के भीतर या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करना होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक के बाद प्रत्येक 3 माह, 6 माह व 9 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक से 15 दिवस पूर्व 25–25 प्रतिशत की तीन समान किश्तों में जमा करना होगी। विफल रहने पर अनुबंध निरस्त करने एवं परफार्मेन्स गारण्टी/सुरक्षा निधि राशि को जप्त करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को होगा।

8. निविदाकर्ता को वाहन पार्किंग संचालन के लिये किसी अन्य व्यक्ति को उप–किराये पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसा करने पर परफार्मेंस गारण्टी जप्त कर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

9. निविदाकर्ता वाहन पार्किंग के उचित रख–रखाव एवं पार्किंग स्थल पर स्वच्छता बनाये रखने के लिए दायित्वाधीन होगा और रख–रखाव एवं स्वच्छता बनाये रखने में व्यतिक्रम होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले समुचित शास्ति/दण्ड के लिए भी दायित्वाधीन होगा।

10. वाहन पार्किंग का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

11. साईकिल/स्कूटर/दो पहिया वाहन/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :–

वाहन	**शुल्क**
साइकिल	₹ 5/– प्रतिदिन
दोपहिया वाहन	₹ 10/– प्रतिदिन
चार पहिया वाहन	₹ 20/– प्रतिदिन

12. सफल निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जायेगी एवं निर्धारित दर पर

ही आम जनता से वाहन पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सफल निविदाकर्ता द्वारा आमजन को वाहन पार्किंग किये जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान करना होगी, जिस पर वाहन का शुल्क एवं वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

13. सफल निविदाकर्ता के द्वारा न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार (इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने) से/ पार्किंग स्थल से मुख्य न्यायालय भवन तक वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों तथा निःशक्तजनों को निःशुल्क लाने व ले–जाने की सुविधा हेतु दो ई–रिक्शा प्रत्येक कार्य दिवस में लगाए जाएंगे। ऐसे ई–रिक्शा का संपूर्ण व्यय सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। ई–रिक्शा का पंजीयन, बीमा एवं अन्य सभी सुसंगत दस्तावेज प्रभावी एवं वैध रखने का दायित्व सफल निविदाकर्ता का होगा। ई–रिक्शा से किसी भी प्रकार की दुघ र्टना होने या किसी के शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति कारित करने की स्थिति में दुर्घटना अथवा प्रतिकर संपूर्ण दायित्व सफल निविदाकर्ता /ई–रिक्शा स्वामी का होगा और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व मध्यप्रदेश शासन अथवा कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा का नहीं होगा।

14. निविदाकर्ता अपने आवेदन के साथ कार्य के अनुभव के संबंध में शासकीय/अर्द्ध–शासकीय संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन, अस्पताल आदि में वाहन पार्किंग चलाने का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। अनुभवी निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।

15. निविदाकर्ता को वाहन पार्किंग के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार करना आवश्यक होगा।

16. निविदाकर्ता नगर पालिक निगम और वाहन पार्किंग चलाने के लिये आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण–पत्र/लाईसेंस प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

17. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को अपने स्थापना के पंजीयन का प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण–पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा। विफल रहने पर निविदा विचार में नहीं ली जाएगी।

18. निविदाकर्ता को वाहन पार्किंग संचालन हेतु आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार

का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे। वाहन पार्किंग संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नही करेंगे, जिससे शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की किसी शर्त का उल्लंघन हो। यदि निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों से परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होती है, तो ऐसी क्षति/हानि प्रतिपूर्ति निविदाकर्ता को करना होगी।

19. निविदाकर्ता उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। यदि वाहन पार्किंग स्टैण्ड के संचालन व्यवसाय के लिए अस्थाई निर्माण अत्यावश्यक हो, तो ऐसे अस्थायी निर्माण की आवश्यकता के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा का समाधान एवं उनके अनुमोदन पर ही ऐसा कोई अस्थायी निर्माण किया जा सकेगा। ऐसे अस्थायी निर्माण का अनुमोदन भी उसी दशा में किया जाएगा, जब ऐसे अस्थायी निर्माण से शासकीय सम्पत्ति में क्षति/हानि न हो।

20. वाहन पार्किंग हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा। वाहन पार्किंग हेतु आवंटित स्थान पर वाहन को सुव्यवस्थित रुप से रखवाएगा, जिससे पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो। आवंटित स्थान को प्रदूषण मुक्त रखने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

21. निविदाकर्ता के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्दी पहनेंगे तथा आई. डी. कार्ड का डिस्प्ले करेंगे जो निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

22. वाहन पार्किंग संचालन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को ही नियोजित करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि उसके द्वारा नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हों। निविदाकर्ता को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को प्रदान करना होगा।

23. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा नियोजित

कर्मचारियों में से कोई भी न्यायालय परिसर में अस्त्र–शस्त्र नहीं रखेगा।

24. वाहन के चोरी होने या वाहनों में कोई भी क्षति/हानि होने की दशा में निविदाकर्ता उत्तरदायी होगा।

25. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदा अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सुरक्षा निधि की संपूर्ण राशि जप्त कर ली जाएगी।

26. लाईसेंस की उक्त अवधि या अवधि की समाप्ति या उसके पूर्व समाप्ति पर, निविदाकर्ता लाईसेंस प्राप्त वाहन पार्किंग के खाली कब्जे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को उसकी स्थिति में शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिसर में उसके कब्जे को एक अतिचार के रुप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

27. निविदाकर्ता एक शिकायत–पुस्तिका रखेंगे, जो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता को पेश करना होगी।

28. वाहन पार्किंग संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन पार्किंग संचालक को वाहन पार्किंग का संचालन करना होगा।

29. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार होगा।

30. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को यह अधिकार होगा कि वाहन पार्किंग संचालन हेतु दिया गया लाईसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन पार्किंग का संचालन अविलंब बंद करना होगा, अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन पार्किंग संचालन बंद करवाकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें। इस

संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

31. न्यायालयीन कर्मचारियों के वाहनों पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के द्वारा जारी स्टीकर लगाया जाएगा। इसी प्रकार अधिवक्तागण द्वारा भी अपने वाहनों पर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा जारी स्टीकर लगाया जाएगा जिसमें सरल क्रमांक का उल्लेख होगा। ऐसे स्टीकर लगे वाहनों से वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

32. न्यायालयीन कर्मचारीवृन्द अपने वाहन कर्मचारियों हेतु चिन्हित वाहन पार्किंग में रखेंगे। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित स्थल पर रखेंगे।

33. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में निर्धारित स्थान पर ही वाहन पार्किंग का संचालन करेगा। न्यायालयीन कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं के लिये पार्किंग व्यवस्था केवल न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु चिन्हित पार्किंग स्थल में ही की जाएगी। इसके लिए भी सफल निविदाकार को अपना एक कर्मचारी नियुक्त करना होगा जो वाहनों को निधार्रित स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से पार्किंग करा सके।

34. निविदाकर्ता द्वारा वाहन पार्किंग में आने व जाने वाले वाहनों का रिकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

35. नगर पालिक निगम रीवा द्वारा अधिरोपित कर अथवा अन्य ऐसे किन्हीं करों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा, जो वाहन पार्किंग संचालन हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी को दिया जाना अनिवार्य है।

36. निविदाकर्ता न्यायालय आने वाले पक्षकारों से किसी तरह का वाद–विवाद नहीं करेगा। निविदाकर्ता अथवा उसके नियोजित कर्मचारियों द्वारा परिसर में आने वाले न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण, अभिभाषकगण, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पक्षकारों या अन्य किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा हिंसा करते पाए जाने पर एवं साथ ही महिलाओं, विकलांगों व बुजुर्गो के प्रति अनादर व असहयोग करते पाए जाने पर अर्नेस्ट मनी एवं

परफार्मेंस गारण्टी की राशि जप्त कर ली जायेगी।

37. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में रूपये 50,000/– की सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.)/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करना होगा। परफार्मेंस गारण्टी के रूप में जमा राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के 60 दिवस उपरांत लौटाई जाएगी। सफल निविदाकर्ता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार का नुकसान किये जाने की स्थिति में नुकसान का व्यय परफार्मेंस गारण्टी के रूप में जमा राशि से किया जाएगा।

38. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध–पत्र निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध पत्र निष्पादन का समस्त व्यय सफल निविदाकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

39. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी तथा नई निविदा प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूल की जाएगी।

18/7/24

आज्ञा से/–

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा, (म.प्र.)